

2023

राजस्थान सरकार  
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग

(साधारण बीमा निधि)

डी- ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास, जयपुर-302005

Email: add.medi.sipf@rajasthan.gov.in

Website: www.sipf.rajasthan.gov.in

**मेडिकलेम बीमा पॉलिसी शिड्यूल**

(विशेष निर्मित पॉलिसी)

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर

पॉलिसी नं. : जी.आई.एफ./81/मेडि./2017-18/21  
बीमा अवधि : 01.12.2017 से 30.11.2018 (मध्य रात्रि)  
बीमित का नाम : दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात नियुक्त राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर के 89 कार्मिक एवं उन पर आश्रित परिजन।

जारी की तारीख : 09.11.2017

कुल बीमा राशि : रूपये 2 लाख

(प्रति कर्मचारी एवं उनके नियमानुसार आश्रित परिजन)

प्रीमियम : 5000/- +30+18.00% (जी.एस.टी.)

Category - A / B / C

कुल कर्मचारी (जिनके लिए प्रीमियम प्राप्त): 89

शुद्ध प्रीमियम मय विविध व्यय रू.

जी.एस.टी. : @18.00%

कुल प्रीमियम रू.

ई-ग्रास चालान सं 19262631 दिनांक 18.10.2017 राशि रू. 5,28,251/-

4,47,670/-

80,581/-

5,28,251/-

**जोखिम का विवरण**

जोखिम आवरण

: राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के कार्मिक व परिजनों हेतु ग्रुप मेडिकलेम, विशेष रूप से निर्मित

: 2 लाख प्रति कार्मिक परिवार

पॉलिसी-बीमा राशि

पॉलिसी क्लॉज के अध्यक्षीन राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के कार्मिक के परिवार में निम्न शामिल है:

- (a) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (स्वयं),
- (b) उसका/उसकी पति/पत्नी
- (c) 2 आश्रित बच्चें जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं हों।
- (d) आश्रित माता-पिता राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के कार्मिक पर आश्रित माने जायेंगे जबकि वे सामान्यतया राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के कार्मिक के साथ, उसके तैनाती स्थल पर रहते हों एवं उनकी मासिक आय सभी स्त्रोतों से रूपये 2000/-से अधिक नहीं हो।

वर्ष 2017-18 की पॉलिसी के संचालन के लिए पैरामाउण्ट हेल्थ सर्विसेज एण्ड इंशोरेन्स टीपीए प्रा. लि. नियुक्त है।

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि

टीपीए डेस्क, पैरामाउण्ट हेल्थ सर्विसेज एण्ड इंशोरेन्स टीपीए प्रा. लि.

डी-204 ए, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास,

जयपुर - 302005 (राजस्थान) फोन नं.: 0141-6456656

ई-मेल: pbs.sipf@gmail.com

आपातकालीन परिस्थिति में सम्पर्क करें: +91 9116742466

(श्री अशोक चौधरी, रीजनल मैनेजर, टीपीए)

इस पॉलिसी से संबंधित दावों/दस्तावेजों को साधारण बीमा निधि/टीपीए के कार्यालय में जमा करावें।

[उपरोक्त में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी, जिसे विभागीय वेबसाइट (www.sipf.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।]

साधारण बीमा निधि की मेडिकलेम पालिसी की सामान्य शर्तों के अध्यक्षीन राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम कार्मिक को बीमा आवरण प्रदान किया गया है।

अतिरिक्त निदेशक (मेडिकलेम)  
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग  
साधारण बीमा निधि, जयपुर

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक  
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग  
साधारण बीमा निधि, जयपुर

